>

Title: Need to change the Proportionate Recruitment Policy of Ministry of Defence with a view to recruit more number of candidates from Himachal Pradesh.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हि.प्र.): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री और सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के माध्यम से जितनी भी योजनाएं भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए बनाई जाती हैं, उन सभी को हिमाचल प्रदेश अपने यहां पूर्ण रूप से लागू करता है। हिमाचल प्रदेश में इस कार्य हेतु निर्देशक के अधीन सैनिक कल्याण बोर्ड के नाम एक सम्पूर्ण विभाग कार्यरत है। मुझे भी बताते हुए प्रसन्नता है कि सशस्त्र सेनाओं में भर्ती हिमाचली अपने शौर्य प्रताप लगन से देश की सेवा में समर्पित हैं। वर्ष 1962, 1965 और 1975 की लड़ाई में 523 हिमाचली सैनिकों ने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। कारगिल की लड़ाई में 52 रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहूति देकर देश की सीमा की रक्षा की। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि परमवीर चक्र विजेताओं के लिए राशि 4500 रुपए से बढ़ाकर 1,25,000 रुपए, अशोक चक्र की राशि 4,000 रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए, महावीर चक्र की राशि 3600 रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए, कीर्ति चक्र की राशि 3300 रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए प्रतिवर्ष की गई है। इसके अलावा बाकी के गैलंटरी अवार्ड्स की धनराशि को दुगुना किया गया है। एकमुश्त अवार्ड्स परमवीर और अशोक चक्र की राशि 25 लाख, महावीर और कीर्ति चक्र की राशि 15 लाख, वीर और शौर्य चक्र की राशि दस लाख देनी प्रारंभ की गई है। मैं जिस बात पर आ रहा हूं वह सबसे महत्वपूर्ण है कि इतने नौजवानों ने अपना जीवन देश की सीमा की रक्षा के लिए दिया। केंद्र सरकार द्वारा भर्ती की नई नीति, आनुपातिक नियुक्ति नीति जिसके अनुसार प्रदेश में भर्ती पुरुषों की संख्या के आधार पर की जाती है, इसे बदलने के बारे में सोचना चाहिए। अगर इतने नौजवानों ने देश के लिए जीवन दिया है, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पहाड़ी राज्य के लोग जब अपना जीवन देने के लिए सबसे आगे आते हैं तो उस प्रदेश की कम जनसंख्या होने के आधार पर वहां के कम नौजवानों को भर्ती में लिया जाता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उत्तराखंड से आते हैं और वे यहां मौजूद भी हैं, पहाड़ी राज्यों की कम जनसंख्या के कारण नौजवानों को कम भर्ती का मौका मिलता है। इस नीति में बदलाव लाना चाहिए क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योग भी नहीं हैं, आय के ज्यादा साधन भी नहीं हैं इसलिए वहां ज्यादा लोगों की भर्ती हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए।